

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/97

दिनांक :- 21.1.19

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफडी/नियम/2008 दिनांक 12.9.2008 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित स्वा० कार्यकर्ता (पुरुष) को उनके नामों के सम्मुखानुसार एतद द्वारा ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी पदस्थापन जिला	व	संवर्ग में नियुक्ति दि.	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	पै-बैंड	ग्रेड-पे
1	श्री राजकुमार शर्मा, सवाई माधोपुर		28.01.91	18 वर्ष	28.01.09	9300-34800	3600

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/97

दिनांक :- 21.1.19

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंगानगर सिटी (सवाई माधोपुर)।
4. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर